भारत में रेप क्राइम: एक गहन विश्लेषण

हालिया सन्दर्भ :

- आईआईएम कलकत्ता, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुई बलात्कार की घटनाओं ने एक बार फिर शैक्षिक संस्थानों में रेप क्राइम के मुद्दे को प्रमुखता से सामने लाया है।

भारत में रेप क्राइम कानून:

1.आईपीसी की धारा 375 - बलात्कार की परिभाषा।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 63: आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा को बनाए रखती है, लेकिन यह लिंग-विशिष्ट है, केवल महिला पीड़ितों और पुरुष अपराधियों को कवर करती है।

2. आईपीसी की धारा 376 - बलात्कार की सजा - 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित करती है, और अत्यधिक मामलों में मौत की सजा भी हो सकती है (जैसे, जब पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह शाक्त अवस्था में छोड़ दी जाती है)।

- इसे BNS 2023 की धारा 64 से बदल दिया गया है।

3. बच्चों से यौन अपराधों से सुरक्षा (POCSO) अधिनियम

- बाल संरक्षण: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, और नाबालिगों के साथ सभी यौन गतिविधियों को अपराधी ठहराता है, चाहे उनकी सहमति हो या न हो।
- बाल मित्रवत प्रक्रियाएँ: रिपोर्टिंग, जांच और मुकदमे के लिए बाल-संवेदनशील तरीकों को सुनिश्चित करता है।

4. क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2013

- बलात्कार की सजा बढ़ा दी गई है, जिसमें पीड़िता की मृत्यु हो जाने या शाक्त अवस्था में छोड़ दिए जाने पर मौत की सजा भी शामिल है।
- नए अपराधों को पेश किया गया है, जैसे पीछा करना, जासूसी करना, और एसिड हमले।

Result Mitra

5. क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018

- बच्चों से बलात्कार पर मौत की सजा: 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा प्रदान की गई है।
- न्यूनतम जेल अवधि: बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है।

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 114A

- सहमति की अनुपस्थिति का अनुमान: उन मामलों में यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि पीड़िता की सहमति नहीं दी गई थी, जहाँ वह दावा करती है कि सहमति नहीं दी गई थी।
- इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 120 से बदल दिया गया है।

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 228A

- पीड़िता की पहचान का खुलासा: बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करना गैरकानूनी बनाता है, ताकि उनकी गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित हो सके।

8. फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स

- त्वरित मुकदमे: बलात्कार के मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए गए हैं, ताकि पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके।

Result Mitra

भारत में रेप की वास्तविकता

1. लिंग असमानता और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण

i. गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक भेदभाव:: भारत में पितृसत्तात्मक मान्यताएँ अक्सर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधीनस्थ मानती हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित होती है और यौन हिंसा के लिए अनुकूल माहौल बनता है।

ii. हिंसा का सामान्यकरण: पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण यौन हिंसा और पीड़िता को दोष देने को सामान्य बनाते हैं, जहाँ महिलाओं को उनके रूप या व्यवहार के आधार पर अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

iii. सशक्तिकरण की कमी: महिलाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं और निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखतीं, जिससे वे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

2. धीमा न्यायिक प्रक्रिया और अपर्याप्त कानून प्रवर्तन

i. मुकदमों का बोझ: अत्यधिक बोझिल न्यायिक प्रणाली के कारण न्याय में देरी होती है, जिससे पीड़िता को मानसिक आघात होता है और कई बार मामले को आगे बढ़ाने का उत्साह खत्म हो जाता है।

ii. अपर्याप्त कानून प्रवर्तन: पुलिस को उचित प्रशिक्षण की कमी होती है, जिससे जांच प्रभावी नहीं होती। भ्रष्टाचार और पक्षपाती रवैया न्याय को और बाधित कर सकते हैं, विशेष रूप से जब शक्तिशाली व्यक्तियों का संबंध हो।

iii. राजनीतिक दबाव: कभी-कभी राजनीतिक दबाव बलात्कार के मामलों के परिणामों को प्रभावित करता है, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर होता है।

3. पीड़िता को दोष देना और सामाजिक कलंकिनता

i. सांस्कृतिक दृष्टिकोण: बलात्कार की पीड़ितों को अक्सर समाज में कलंकिनता और दोषी ठहराया जाता है, खासकर जब मामले में नाबालिगों या हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएँ शामिल होती हैं, जहाँ पीड़िता को "इसकी मांग करने वाली" समझा जाता है।

ii. परिवार और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ: पीड़ितों को समाज और कभी-कभी अपने परिवार से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक आघात के साथ शारीरिक चोटें भी होती हैं।

iii. मीडिया सनसनीखेजीकरण: मीडिया कभी-कभी पीड़िता के व्यक्तिगत जीवन या रूप पर ध्यान केंद्रित कर पीड़िता को दोषी ठहराने को बढ़ावा देती है, जिससे अपराध की असल बात से ध्यान भटकता है और पीड़ितों को रिपोर्ट करने से हतोत्साहित किया जाता है।

Result Mitra

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और कानूनी परिवर्तन

1. माथुरा बलात्कार मामला और बलात्कार कानूनों में सुधार

a. 1972 में, माथुरा, एक युवा आदिवासी लड़की, को दो पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार का शिकार बनाया गया। इस मामले ने सार्वजनिक विरोध को जन्म दिया और क्रिमिनल लॉ (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 को लागू किया, जिसने बलात्कार कानूनों में सुधार किया और हिरासत में बलात्कार के मामलों में सहमति की अनुपस्थिति के अनुमान को अनिवार्य किया।

2. निर्भया मामला और 2013 में बलात्कार कानूनों में संशोधन

a. पृष्ठभूमि: 2012 के निर्भया मामले ने राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया और न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन हुआ।
b. प्रभाव: क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने कड़ी सजा की व्यवस्था की, जिसमें कुछ मामलों में मौत की सजा भी शामिल है, और नए अपराधों जैसे पीछा करना और जासूसी को अपराध माना गया।

3. हाल के रेप मामले और कानूनी प्रतिक्रिया

a. वर्तमान प्रवृत्तियाँ: काथुआ मामला (2018) और हैदराबाद पशु चिकित्सक मामला (2019) जैसे उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों ने तेज़ मुकदमे, कड़ी सजा और बेहतर प्रवर्तन की मांग की।
b. न्यायिक प्रतिक्रिया: क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने कानूनों को मजबूत किया, विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में, काथुआ मामले जैसे घटनाओं के बाद।

4. हाल के बलात्कार मामले और कानूनी प्रतिक्रिया

a. वर्तमान प्रवृत्तियाँ: काथुआ मामला (2018) और हैदराबाद पशु चिकित्सक मामला (2019) जैसे उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों ने तेज़ मुकदमे, कड़ी सजा और बेहतर प्रवर्तन की मांग की।
b. न्यायिक प्रतिक्रिया: क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने कानूनों को मजबूत किया, विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में, काथुआ मामले जैसे घटनाओं के बाद।

Result Mitra

वर्तमान चुनौतियाँ

बलात्कार संस्कृति: बलात्कार का सामान्यकरण और पुरुषों के प्रति नफरत की मानसिकता

i. मिथकों का प्रचार: भारत में, बलात्कार को अक्सर लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया में सामान्यीकृत किया जाता है, जहाँ बलात्कार मिथकों जैसे "महिलाएँ अपनी हरकतों या पहनावे के आधार पर इसे आमंत्रित करती हैं" को बढ़ावा दिया जाता है। यह जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी से और बढ़ता है, जो पितृसत्तात्मक विचारों को और मजबूत करता है।

ii. पुरुषों के प्रति नफरत की मानसिकता: पितृसत्तात्मक मानसिकता, जो सांस्कृतिक प्रथाओं में गहरे तरीके से समाहित है, महिलाओं को मुख्य रूप से देखभाल करने वाली या द्वितीयक नागरिक के रूप में देखती है। यह दृष्टिकोण यौन हिंसा को कम गंभीर मानने या महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के अधिकारों से कम महत्वपूर्ण मानने की सुविधा प्रदान करता है।

प्रौद्योगिकी का प्रभाव: इंटरनेट से संबंधित यौन हिंसा का उभरना

i. ऑनलाइन गुमराह करना और साइबर बलात्कार: सोशल मीडिया और इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ, यौन हिंसा के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। ऑनलाइन यौन गुमराह करना और बिना सहमति के स्पष्ट सामग्री साझा करना विशेष रूप से नाबालिगों में एक व्यापक समस्या बन गई है।

ii. प्रवर्तन में चुनौतियाँ: जबकि ऑनलाइन अपराधों को संबोधित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानून हैं, प्रवर्तन में कमजोरी बनी रहती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास साइबर अपराधों को प्रभावी रूप से संभालने के लिए उपकरणों और विशेषज्ञता की कमी होती है।

नाबालिगों और बलात्कार: बच्चों के बलात्कार के बढ़ते मामले और कड़े कानूनों की आवश्यकता

i. बच्चों के बलात्कार का प्रसार: बच्चों के बलात्कार के मामलों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, जहाँ कई अपराधी पीड़िता के करीबी परिवार के सदस्य या परिचित होते हैं। POCSO अधिनियम ने ऐसे कृत्यों को अपराधी ठहराया है, लेकिन इस समस्या की निरंतरता यह दिखाती है कि और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

ii. कड़े कानूनों की आवश्यकता: बच्चों के बलात्कार के मामलों के लिए और कड़े कानूनों और तेज़ मुकदमों की आवश्यकता है। क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018, जिसने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा दी, एक सकारात्मक कदम था, लेकिन इस गहरी विकृत प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और किया जा सकता है।

Result Mitra

भारत में बलात्कार अपराधों का समाधान / आगे का रास्ता

कानूनी सुधार:

i. कड़ी सजा: बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को अपराध की गंभीरता के अनुसार तय किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

ii. फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स: बलात्कार मामलों के मुकदमों को तेजी से निपटाने और समय पर न्याय देने के लिए अधिक फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की जाए।

iii. जेंडर-न्यूट्रल कानून: बलात्कार कानूनों को जेंडर-न्यूट्रल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि पुरुष पीड़ितों को भी कवर किया जा सके।

सार्वजनिक जागरूकता और जेंडर संवेदनशीलता:

i. व्यापक यौन शिक्षा: स्कूलों में अनिवार्य यौन शिक्षा को पेश किया जाए, ताकि सहमति, सम्मान और जेंडर समानता के बारे में शिक्षा दी जा सके।

ii. जेंडर संवेदनशीलता अभियान: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों में गहरी जेंडर संवेदनशीलता शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, जो महिलाओं के बारे में समाज की धारणाओं को बदलने पर केंद्रित हो।

Result Mitra

पीड़िता समर्थन सेवाएँ:

i. वन-स्टॉप सेंटर: पूरे देश में वन-स्टॉप सेंटर की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाया जाए ताकि पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी और मानसिक सहायता मिल सके।

ii. मानसिक स्वास्थ्य समर्थन: बलात्कार पीड़ितों के लिए परामर्श और पुनर्वास सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जाए।

कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करना:

i. पुलिस का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता: यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून प्रवर्तन कर्मियों को बलात्कार मामलों को संवेदनशीलता, बिना पक्षपात के और पीड़िता-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

ii. अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई: प्रभावी और त्वरित जांच और सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

निष्कर्ष:

बलात्कार भारत में सबसे गंभीर अपराधों में से एक बना हुआ है, और कई कानूनों और संशोधनों के बावजूद यह समस्या बनी हुई है। आईआईएम कलकत्ता और कोलकाता लॉ कॉलेज के बलात्कार मामले कानून प्रवर्तन और सामाजिक दृष्टिकोणों में प्रणालीगत खामियों को दूर करने की आवश्यकता की तात्कालिकता को उजागर करते हैं। जबकि कानूनी सुधार और बढ़ी हुई सजा लागू की गई है, वास्तविक परिवर्तन के लिए गहरे-घुसे हुए लिंग असमानता और पितृसत्तात्मक मान्यताओं को संबोधित करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए, कड़े कानूनों, तेज़ न्याय, बेहतर शिक्षा और पीड़ितों के लिए बेहतर समर्थन प्रणालियों का संयोजन भारत में बलात्कार की घटना को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Prelims 2025 का प्रश्न:

Q. सुरक्षित बालकों से यौन अपराधों से सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा मानता है।
2. यह अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।
3. यह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्टिंग अनिवार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1

उत्तर: (c) 1, 2 और 3

Q. निम्नलिखित में से कौन से निर्भया फंड के उद्देश्य हैं?

1. भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहलों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2. बलात्कार मामलों के शीघ्र परीक्षण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का समर्थन करना।

3. महिलाओं की हेल्पलाइन और अन्य समर्थन सेवाओं के निर्माण के लिए फंड देना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा:

1. निर्भया घटना के बाद भारत में बलात्कार कानूनों में हुए विधायी बदलावों पर चर्चा करें और यौन हिंसा से निपटने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। (10 अंक, 150 शब्द)

2. भारत में बलात्कार अपराधों की प्रचलन के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें और इन अपराधों को प्रभावी रूप से कम करने के उपाय सुझाएं। (10 अंक, 150 शब्द)